संख्याः 360 /8–2/3(के)/एम०जी०एन०आर०ई०जी०एस०/2012–13

प्रेषकः

सचिव
ग्राम्य विकास
उत्तराखण्ड शासन।

प्रेषितः

समस्त जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड।

ग्राम्य विकास विभागः **देहरादूनः** **दिनांकः जनवरी 23 , 2013**

विषय : आपदा से क्षतिग्रस्त सी०सी० मार्गों का निर्माण एम०जी०एन०आर०ई०जी०एस० के अन्तर्गत केन्द्राभिसरण/युगपितीकरण के माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश में समय–समय पर विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आने से सड़कें आदि क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सी०सी० मार्गों के निर्माण/मरम्मत का कार्य आपदा राहत कोष (सी०आर०एफ०) के दिशा–निर्देशानुसार अनुमन्य नहीं है। चूंकि उक्त कार्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत अनुमन्य हैं। अतः सन्दर्भित कार्यों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत करवाये जाने हेतु शासन स्तर पर निर्णय लिया गया है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर सामग्री अंश में कुल लागत का 40% से अधिक व्यय न किये जाने की बाध्यता है तथा सी०सी० मार्गों के निर्माण/मरम्मत के कार्य में सामग्री अंश में 40% से अधिक धनराशि व्यय होती है। अतः सन्दर्भित कार्य मात्र महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से करवाये जाने में कठिनाई उत्पन्न होती है।

ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सीमान्त एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि योजना का उपयोग सीमान्त तथा पिछड़े विकासखण्डों की ऐसी मूलभूत आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति करने (Gap filling) के लिए है जो अन्य योजनाओं से आच्छादित नहीं हो पा रही है। इस योजना को 74 सीमान्त एवं पिछड़े विकासखण्डों में क्रियान्वित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

चूंकि उपरोक्त दोनों योजनाओं में सी०सी० मार्ग के निर्माण का कार्य अनुमन्य है अतः सी०सी० मार्ग का निर्माण/मरम्मत का कार्य केन्द्राभिसरण/युगपितीकरण (Convergence/Dovetailing) के माध्यम से 74 विकासखण्डों में किया जायेगा जिसमें श्रमांश महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से एवं सामग्री अंश उत्तराखण्ड सीमान्त एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि योजना से लिया जायेगा। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्न दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय–

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के दिशा–निर्देशानुसार ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत स्तर से सन्दर्भित कार्यों का अनुमोदन प्राप्त करते हुए वार्षिक लेबर बजट में सम्मिलित किया जाय।
- उत्तराखण्ड सीमान्त एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि योजना के दिशा–निर्देशानुसार सक्षम स्तर से सन्दर्भित कार्यों का अनुमोदन प्राप्त करते हुए वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित किया जाय।
- उपरोक्त दोनों योजनाओं से स्वीकृति प्राप्त करने उपरान्त प्रस्ताव का विस्तृत आगणन तैयार करते हुए सक्षम तकनीकी अधिकारी से स्वीकृति उपरान्त एक सप्ताह के भीतर सम्बन्धित जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक (एम०जी०एन०आर०ई०जी०एस०) को प्रस्तुत किया जायेगा तथा जिलाधिकारी उपलब्ध प्रस्तावों पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के दिशा–निर्देशानुसार प्रशासनिक स्वीकृति देंगे।
- सन्दर्भित कार्यों के क्रियान्वयन हेतु जिलाधिकारी कार्यदायी संस्था चयनित करेंगे तथा योजना के संचालन हेतु धनराशि कार्यदायी संस्था को दो किस्तों में कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से

उपलब्ध करायेंगे। पहली किस्त का 60% व्यय हो जाने के पश्चात् दूसरी किस्त का भुगतान किया जायेगा।

- कार्यस्थल पर कार्य क्षेत्रीय पंजीकृत जॉब कार्ड धारकों द्वारा ही सम्पन्न कराया जायेगा जिस हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा कार्यक्रम अधिकारी (सबंधित खण्ड विकास अधिकारी) से मांग की जायेगी तद्नुसार कार्यक्रम अधिकारी द्वारा श्रमिकों की सूची कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
- कार्यदायी संस्था द्वारा श्रमिकों को 15 दिन के भीतर कार्य आवंटन न दिये जाने की स्थिति में कार्यक्रम अधिकारी, रोजगार के लिए आवेदन करने वाले श्रमिकों को किसी अन्य कार्य पर रोजगार दिलाने के लिए व्यवस्था करेंगे।
- कार्यक्रम अधिकारी प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर दायें भाग में संख्यांकित हस्ताक्षरयुक्त मस्टर रोल/ई–मस्टर रोल कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायेंगे। कार्यदायी संस्था द्वारा एम०जी०एन०आर०ई०जी०एस० के दिशा–निर्देशानुसार निर्धारित प्रारूप पर मस्टर रोल रजिस्टर का रखरखाव किया जायेगा। कार्यदायी संस्था मस्टर रोल भर जाने पर अथवा कार्य की समाप्ति पर कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे। कार्यदायी संस्था प्राप्त मस्टर रोल भर जाने पर एवं कार्यक्रम अधिकारी को सौंपने पर यदि कार्य अपूर्ण है तो अतिरिक्त संख्यांकित हस्ताक्षरयुक्त मस्टर रोल/ई–मस्टर रोल कार्यक्रम अधिकारी से प्राप्त करेंगे।
- ऐसे किसी भी मस्टर रोल को अनाधिकृत और गैर कानूनी माना जायेगा जिसे कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया है।
- कार्यदायी संस्था को किसी भी प्रकार का प्रभार (Overhead charges) देय नहीं होगा।
- कार्यदायी संस्था द्वारा श्रमिकों को भुगतान केवल एकाउन्ट पेयी चेक/e-FMS द्वारा बैंक/पोस्ट ऑफिस खातों के माध्यम से ही साप्ताहिक रूप से कराया जायेगा।
- कार्यदायी संस्था कार्य की प्रगति प्रत्येक माह निर्धारित प्रारूप पर कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे जिसे कार्यक्रम अधिकारी MIS में अद्यतन करेंगे।
- कार्यदायी संस्था द्वारा कार्यक्रम की जानकारी हेतु कार्यस्थल पर कार्यक्रम अधिकारी द्वारा निर्धारित विशिष्ट के अनुसार निर्मित सूचनापट्ट लगाया जायेगा।
- कार्यस्थल पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व परियोजना का सीमाकन प्रत्येक कोने में स्थल को चिह्नित करने हेतु 6 फुट लम्बे खम्भे, जिसमें से 3 फुट जमीन के भीतर एवं 3 फुट जमीन के ऊपर होगा तथा जिस पर एम०जी०एन०आर०ई०जी०एस० एवं वर्ष अंकित होगा, लगाये जाएंगे। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व की स्थिति की वीडियोग्राफी की जायेगी। इन सभी कार्यों पर होने वाला व्ययभार एम०जी०एन०आर०ई०जी०एस० के सामग्री अंश से वहन किया जायेगा। इन समस्त कार्यों का उत्तरदायित्व कार्यक्रम अधिकारी का होगा।
- परियोजनाओं के क्रियान्वयन में ठेकेदारी प्रथा तथा मशीनों का उपयोग किसी भी स्तर पर पूर्णतः प्रतिबन्धित है। इस प्राविधान का उल्लंघन आपराधिक कृत्य होगा, जिसके लिए कार्यक्रम अधिकारी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए अधिकृत होंगे। विभागीय कार्यवाही भी साथ–साथ अमल में लाई जायेगी।
- कार्यस्थल पर प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, पीने का पानी, आराम हेतु छाया की उपलब्धता, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की माताओं द्वारा कार्य पर आने की दशा में यदि वे संख्या में 5 से अधिक हैं तो उनके बच्चों के लिए क्रेच की व्यवस्था कार्यदायी संस्था द्वारा की जायेगी।
- कार्य के दौरान दुर्घटना से घायल व्यक्तियों को निःशुल्क चिकित्सा एवं अस्पताल भर्ती की स्थिति में आधी मजदूरी कार्यदायी संस्था द्वारा एम०जी०एन०आर०ई०जी०एस० मद से देय होगी।
- कार्यदायी संस्था द्वारा भूमि सुधार से सम्बन्धित कार्य हेतु कृषि विभाग, निर्माण सम्बन्धित कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग तथा वनीकरण/वृक्षारोपण से सम्बन्धित कार्य हेतु वन विभाग द्वारा निर्धारित स्थानीय शेड्यूल ऑफ रेट मान्य होंगे।
- कार्यदायी संस्था द्वारा प्रत्येक परियोजना की पूर्णता पर पूर्णता प्रतिवेदन (Project Completion Report) निर्धारित प्रारूप पर कार्य रजिस्टर को तैयार किया जायेगा तथा रजिस्टर में की गई प्रविष्टि को कार्यदायी संस्था के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा। कार्य प्रारम्भ

करने से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य की समाप्ति का फोटोग्राफ रिकॉर्ड हेतु प्रतिवेदन के साथ संलग्न किया जायेगा। इन फोटोग्राफ को एम०आई०एस० में यथासमय अपलोड किया जायेगा।

- श्रमांश की धनराशि एम०जी०एन०आर०ई०जी०एस० एवं सामग्री अंश की धनराशि उत्तराखण्ड सीमान्त एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि योजना मद से व्यय की जायेगी।
- कार्यदायी संस्था का यह भी उत्तरदायित्व होगा कि आगणन के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से न तो पूर्व में वित्त पोषित किया गया है एवं वर्तमान में भी अन्य योजना से वित्त पोषित नहीं किया जा रहा है। कार्यक्रम अधिकारी का भी यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि बिना उक्त प्रमाण पत्र के कोई धनराशि स्वीकृत न करें।
- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य पूर्ण होने पर सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त दिशा–निर्देशों तथा एम०जी०एन०आर०ई०जी०एस० एवं उत्तराखण्ड सीमान्त एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि योजना के दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(विनोद फोनिया)
सचिव

संख्याः 360 /8–2/3(के)/एम०जी०एन०आर०ई०जी०एस०/2012–13 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव, आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त, ग्राम्य विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
5. गार्ड पत्रावली।

(विनोद फोनिया)
सचिव